

बिहार सरकार
समाहरणालय, नवादा
नवादा-805110
(जिला भू-अर्जन कार्यालय)

अधिघोषणा

भू-अर्जन

दिनांक

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम समीचक, थाना वारिसलीगंज, थाना नं० 534 परगना - जिला-नवादा से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् राज्य उच्च पथ सं०-83 (बागी-बरबीघा) के लिये सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिये इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ ग्राम समीचक थाना नं०-534 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है जो मानक माप से कमवेश 0.0275 एकड़ के बराबर होता है।

जिसका खेसरा संख्या निम्नांकित है :- 40 एवं 38 अंश खेसरा

रकबा :- 0.0275 एकड़


जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :-


उत्तर :- 41 & 40
दक्षिण :- 38, 23 & 24
पूरब :-
पश्चिम :- Road & Road


भूमि क किसी भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों से केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है, उसके निर्माण के लिये खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो ले लिया जायेगा।

यह अधिघोषणा बिहार भू-अर्जन अधिनियम 1 of 1894 की धारा 6 एवं अधिनियम XVIII of 1885 की धारा 3(1) के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे संबंध है।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी नवादा के कार्यालय में देखा जा सकता है।


जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,
नवादा


अपर समाहर्ता,
नवादा


समाहर्ता,
नवादा


बिहार राज्यपाल के आदेश से

३०१-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञा० सं०-15/डी०एल०ए० नवादा (रा०उ०प०)-04/12-3107.../रा०, पटना-15, दिनांक- 31/12/2012

- प्रतिलिपि 1. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को (तीन प्रतियों में) सी०डी० के साथ दो समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं उसकी प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, नवादा को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. समाहर्ता, नवादा को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, नवादा को नवादा जिला के अगले गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।